डा. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी फार दिव्यांगजन, उ. प्र., कानपुर
Dr. Ambedkar Institute of Technology for Divyangjan, U.P., Kanpur

वित्त समिति की 34वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2025 का कार्यवृत्त

1. **श्री नरेन्द्र भूषण,**
   अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ। — **अध्यक्ष**
2. **श्री मनोज कुमार त्रिपाठी,अपर निदेशक,कोषागार, कानपुर मण्डल,**
   (सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
3. **श्रीमती यामिनी जैन, वित्त एवं लेखाधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ**
   (वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ द्वारा नामित) — **सदस्य**
4. **श्री विनोद कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक,प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,कानपुर** — **सदस्य**
5. **श्री प्रभाकर चन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा,उ0प्र0 शासन,लखनऊ** — **विशेष आमंत्रित**
6. **श्रीमती गीता, उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन,लखनऊ** — **विशेष आमंत्रित**
7. **प्रो0 रचना अस्थाना, निदेशक, ए0आई0टी0डी0,कानपुर।** — **सदस्य-सचिव**

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक द्वारा संस्थान के प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें गहन विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई कि अगली गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं:-

1. प्रशासकीय परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 02.08.1997 के मद संख्या - 02 में स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (मार्डन आफिस मैनेजमेण्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रक्टिस) पाठ्यक्रम में मात्र अस्थि विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में अस्थि एवं श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों को अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान एवं भविष्य के दृष्टिगत मार्डन आफिस मैनेजमेण्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रक्टिस पाठ्यक्रम में श्रवण दिव्यांगता से ग्रस्ति अभ्यर्थियों के लिये कैसे उपयोगी हो, उसके लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुबई एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं से सम्पर्क कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

2- संस्थान की आगामी गवर्निंग बॉडी व वित्त समिति की बैठकों में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्रमुख को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये।

3- डिप्लोमा संकाय में प्रवेश संख्या बढ़ाये जाने एवं संस्थान के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 शासन की ओर से समस्त

जिलाधिकारी, उ0प्र0 को संस्थान में दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध विशेष सुविधाओं को इंगित करते हुये पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

4- डिप्लोमा संकाय के तीनो पाठ्यक्रमों की प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत कराये जाने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

5- डिप्लोमा संकाय में वर्तमान में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम में दिव्यांग छात्रों की दिव्यांगता के दृष्टिगत पाठ्यचर्या का पुर्ननिर्धारण करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान , कानपुर को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

6- डिप्लोमा संकाय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र/छात्राओं को सेमेस्टर परीक्षाओं में दिव्यांगता के दृष्टिगत अतिरिक्त समय दिये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये।

7- श्रवण दिव्यांगता से प्रभावित छात्रों के शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य हेतु Sign Language Interpreter के पद का मानदेय हेतु देश/प्रदेश में संचालित अन्य विश्वविद्यालय/संस्थानों में कार्यरत इन्टरप्रेटर को दिये जाने वाले वेतन/मानदेय का परीक्षण कर विस्तृत प्रस्ताव प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गई।

8- डिप्लोमा संकाय में प्रवेश संख्या बढ़ाये जाने हेतु पूर्व वर्षों की भांति सीधी भर्ती से प्रवेश किये जाने का विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

34.01 **वित्त समिति की 33वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

वित्त समिति की 33वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए उसकी पुष्टि की गयी।

34.02 **वित्त समिति की 33वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 के निर्णयों- संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट।**

समिति द्वारा वित्त समिति की 33वीं बैठक दिनांक 27.02.2024 एवं गत बैठकों के निर्णयों/संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

34.03 (01) **वर्ष 2025-26 का डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रम का आय-व्ययक का अनुमोदन।**

समिति द्वारा डिप्लोमा अनुदानित पाठ्यक्रम के वर्ष 2025-26 के यथा प्रस्तावित आय-व्ययक पर संलग्न औचित्य के आधार पर अवलोकन किया गया एवं प्रशासकीय परिषद से औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति की गई।

धनराशि लाख रू. मों

विवरण	वर्ष 2023-24 की वास्तविक प्राप्तियाँ	वर्ष 2024–25 में			वर्ष 2025-26 की अनुमानित प्राप्तियाँ
		प्राविधानित प्राप्तियाँ	28.02.2025 तक की प्राप्तियाँ	कुल सम्भावित प्राप्तियाँ	
1	2	3	4	5	6
1 प्रारम्भिक अवशेष		3.69	3.69	3.69	4.10
2. (अ) शासन से प्राप्त धनराशि					
प्रदेश सरकार से वेतन मद में प्राप्त अनुदान (अतिरिक्त अनुदान जिसकी और आवश्यकता है)	215.00	232.20 26.00	232.20	232.20 14.96	250.00 41.68
प्रदेश सरकार से गैर वेतन मद मे अनुदान	30.00	30.00	15.00	30.00	35.00
2.(ब) संस्थान के अन्य स्रोतों से प्राप्तियां					
छात्रों से प्राप्त यूजर चार्जेज और डिग्री छात्रों से प्राप्त हास्टल अनुरक्षण की धनराशि	1.21	5.00	2.32	2.32	2.75
डिग्री पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क की 20 प्रतिशत आय से वेतन हेतु तथा गैर वेतन मदों के व्यय हेतु ट्रान्सफर की जाने वाली धनराशि	147.74	176.31 12.00	160.00	168.84	190.50 20.00
भवन अनुरक्षण,जल मूल्य, विद्युत मूल्य आदि से प्राप्त आय	4.74	4.00	0.66	0.73	1.00
बचत खाते से प्राप्त व्याज की धनराशि	1.11	0.80	0.43	0.45	0.80
कुल योग	399.80	490.00	414.30	453.19	545.83
वर्ष 2024-25 का सम्भावित व्यय				(-) 449.09	
अवशेष धनराशि जो वर्ष 225-26 हेतु अग्रेसित की गयी				4.10	
कन्सल्टेन्सी से सम्भावित आय				5.00	

धनराशि लाख रू. में

क्र0 स0	मद का नाम	वर्ष 2023–24 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2024–25 में			वर्ष 2025–26 का अनुमानित व्यय
			प्राविधानित व्यय	28.02.2025 तक का वास्तविक व्यय	कुल सम्भावित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वेतन एवं भत्ते	395.11	434.50	383.16	416.00	482.18
2.	आउट सोर्सिंग (पी.आर.डी.) सर्विस व्यय	5.00	10.00	6.65	10.00	15.00
3.	यात्रा भत्ता	0.12	0.60	0.21	0.45	0.60
4.	कार्यालय एवं प्रकीर्ण व्यय	0.98	1.35	1.18	1.35	1.50
5.	विद्युत व्यय	10.00	7.00	6.10	7.00	10.00
6.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.44	0.50	0.34	0.45	0.50
7.	टेलीफोन/इन्टरनेट	0.15	0.15	0.12	0.15	0.15

8.	जेनरेटर संचालन अनुरक्षण सहित	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
9.	वाहन संचालन एवं अनुरक्षण	1.07	0.50	0.40	0.50	0.50
10.	विधिक (लीगल) एवं व्यावसायिक सेवायें	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
11.	विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	0.39	0.50	0.07	0.10	0.50
12.	अतिथि सत्कार एवं मीटिंग से सम्बन्धित व्यय	0.05	0.10	0.03	0.06	0.10
13.	संस्थान एवं छात्रावास के सिविल विद्युत/यांत्रिक और सामान्य अनुरक्षण कार्य	1.05	1.00	0.40	0.85	1.00
14.	चिकित्सा व्यय	0.05	0.25	0.03	0.05	0.25
15.	ऑडिट फीस आदि का भुगतान	0.44	0.30	0.30	0.30	0.30
16.	फूड सब्सिडी	1.28	18.00	0.80	1.35	18.00
17.	छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म के विवरण पर व्यय।	0.52	3.00	0.53	0.53	3.00
18.	खेल-कूद एवं वार्षिकोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय	0.20	0.20	0.10	0.15	0.20
19.	प्रयोगशालाओं (लैब) का अनुरक्षण		0.03	0.00	0.03	0.03
20.	नगर निगम को गृह कर का भुगतान		9.67	9.67	9.67	9.67
	योग (अ)	416.95	488.00	410.19	449.09	543.83
	पूंजीगत कार्य (Fixed Assets)					
1.	सिविल कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	पुस्तकों का क्रय	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
3.	फर्नीचर का क्रय	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
4.	उपकरणों एवं कम्प्यूटर का क्रय	3.48	1.00	0.00	0.00	1.00
	योग (ब)	3.48	2.00	0.00	0.00	2.00
	कुल योग (अ+ब)	420.43	490.00	410.19	449.09	545.83

(2) वर्ष 2025-26 के डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय - व्ययक का अनुमोदन।

समिति द्वारा डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के वर्ष 2025-26 के यथा प्रस्तावित आय-व्ययक पर संलग्न औचित्य के आधार पर अवलोकन किया गया एवं प्रशासकीय परिषद से औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति की गई।

समिति द्वारा वितीय वर्ष 2025-26 में उपयोग की जाने वाली ब्याज की सकल धनराशि रू0 282.31 लाख में ब्याज की धनराशि और एफ.डी. की धनराशि का अलग-अलग अंकन किये जाने के निर्देशों के अनुपालन में ब्याज की धनराशि रू0 167.31 लाख एवं एफ.डी. की धनराशि रू0 115.00 लाख का अंकन करते हुए निम्नलिखित विवरण के कालम 6 में संशोधन कर दिया गया हैः-

	विवरण	वर्ष 2023-24 की वास्तविक प्राप्तियाँ	वर्ष 2024–25 में			वर्ष 2025-26 की अनुमानित प्राप्तियाँ
			प्राविधानित प्राप्तियाँ	28.02.2025 तक की प्राप्तियाँ	कुल सम्भावित प्राप्तियाँ	
	1	2	3	4	5	6
1.	प्रारम्भिक अवशेष		68.93	0	68.93	113.92
2.	छात्रों के शिक्षण शुल्क से आय	738.71	881.55	742.00	844.20	952.50

3.	छात्रों से प्राप्त यूजर चार्जेज	136.87	162.12	153.80	155.22	176.27
4.	प्रकीर्ण प्राप्तियां	13.67	5.00	5.94	5.94	5.00
5.	संस्थान के महिला छात्रावासों से प्राप्त छात्रावास शुल्क की धनराशि	10.50	20.00	22.65	22.65	22.50
6.	संस्थान के डिग्री खाते और कार्पस फण्ड में एफ.डी. के रूप में जमा धनराशि से 2024-25 में रू.400.00 लाख एवं बचत खाते से अर्जित ब्याज (Interest) रू. 177.98 लाख तथा वर्ष 2025-26 में रू. 282.31 लाख का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।	154.18	839.57	400.00	S.B. 177.98 F.D. 400.00	S.B. 167.31 F.D. 115.00
	कुल योग	1053.93	1977.17	1324.39	1674.92	1552.50
वर्ष 224-25 का सम्भावित व्यय					(-) 1561.00	
अग्रिम धनराशि जो 2025-26 हेतु अग्रेनीत की गयी					113.92	

धनराशि लाख रू. में

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष 2023-24 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2024-25 में प्राविधानित व्यय	28.02.2025 तक का वास्तविक व्यय	कुल सम्भावित व्यय	वर्ष 2025-26 का अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिक्षकों / स्टाफ को वेतन एवं मानदेय	467.31	566.72	441.42	483.65	587.00
2.	विषय विशेषज्ञों आदि हेतु मानदेय	0.95	1.00	0.74	1.00	1.00
3.	फैकल्टी एवं स्टाफ डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम	0.50	3.00	1.46	2.00	3.00
4.	आउट सोर्स सर्विस व्यय (पी.आर.डी. सहित)	127.47	160.00	109.30	130.70	170.00
5.	यात्रा भत्ता	1.01	1.25	0.23	1.00	1.25
6.	कार्यालय एवं प्रकीर्ण व्यय	7.23	12.00	8.45	11.50	12.00
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.97	5.00	3.82	4.70	5.00
8.	विद्युत व्यय	18.82	33.00	18.12	20.88	35.00
9.	टेलीफोन / इन्टरनेट	0.48	2.00	1.53	2.00	21.00
10.	जेनरेटर संचालन अनुरक्षण सहित	1.57	3.00	1.30	3.00	3.00
11.	वाहन संचालन एवं अनुरक्षण	1.35	4.00	1.62	3.50	4.00
12.	विधिक (लीगल) एवं व्यावसायिक सेवायें	0.00	1.00	0.06	0.50	1.00
13.	विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी व्यय	0.21	2.50	0.75	0.75	2.50
14.	अतिथि सत्कार, बैठकों सम्बन्धी व्यय	0.08	1.50	0.55	1.00	1.50
15.	प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण व्यय	0.00	7.00	4.37	5.50	7.00
16.	लैब कन्ज्यूमेबल व्यय	6.75	8.00	5.15	6.00	8.00
17.	इनक्यूबेशन सेन्टर का संचालन व्यय	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	पुस्तकालय (जरनल्स, मैगजीन, न्यूज पेपर) व्यय	0.08	2.00	0.11	1.25	2.00
19.	ट्रेनिंग, प्लेसमेन्ट, शैक्षिक भ्रमण,वर्कशॉप/ कान्फ्रेन्स सम्बन्धी व्यय	1.80	7.00	1.66	3.40	7.00
20.	चिकित्सा व्यय (इन्श्योरेन्स सहित)	0.00	4.50	2.62	3.00	4.50
21.	आडिट फीस	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50

22.	दिव्यांग छात्रों को यूनीफार्म वितरण	0.92	2.50	0.00	0.50	1.00
23.	खेल कूद, वार्षिकोत्सव, टेक फेस्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय	16.97	20.00	4.10	17.00	Liab 3.00 16.50
24.	एल्यूमनाई सोसाइटी के शेयर का भुगतान	0.00	0.00	0.00	1.82	1.74
25.	डिप्लोमा मद में (वेतन हेतु शिक्षण शुल्क की 20% आय तथा गैर वेतन हेतु) ट्रान्सफर की जाने वाली धनराशि	147.74	176.31 12.00	160.00	168.84	190.50 20.00
26.	संस्थान के शैक्षिक / आवासीय परिसर और मार्गों के सिविल / यांत्रिक और विधुत आदि के अनुरक्षण कार्य	105.73	79.74	30.50	35.31	Liab 15.59 100.00
25.	एल्यूमनाई सोसाइटी के शेयर का भुगतान	0.00	0.00	0.00	1.82	1.74
	योग	910.77	1115.52	798.36	909.30	1224.58
	पूंजीगत कार्य (Fixed Assets)					
1.	सिविल वर्क	0.00	765.95	353.45	606.60	Liab 126.86
2.	पुस्तकों का क्रय	0.00	5.00	0.40	0.40	4.00
3.	फर्नीचर का क्रय	4.90	20.00	9.64	16.25	Liab 0.86 20.00
4.	उपकरणों एवं कम्प्यूटर का क्रय	9.53	53.31	13.97	28.45	Liab 8.81 150.00
5.	रूफ टाप सोलर संयंत्र की स्थापना	0.00	17.39	0.00	0.00	17.39
6.	मारूति सुजुकी ईको वैन का क्रय	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**20.18**	**861.65**	**377.46**	**651.70**	**327.92**
	कुल योग	**930.95**	**1977.17**	**1175.82**	**1561.00**	**1552.50**

34.04 संस्थान के डिप्लोमा नियमित और डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के वर्ष 2023-24 के लेखों से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की आडिट रिपोर्ट का अवलोकन।

संस्थान के डिप्लोमा नियमित और डिग्री स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के वर्ष 2023-24 के लेखों से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की आडिट रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रशासकीय परिषद को संस्तुति की गई। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस को भी आमंत्रित किया जाय।

34.05 प्रकीर्ण भुगतानों (Petty Payments) हेतु नकद धनराशि आहरित किये जाने की सीमा में वृद्धि किये जाने और संस्थान स्तर पर गठित विभागीय समितियों के प्रभारियों एवं अध्यक्षों को इम्प्रेस्ट के रूप में अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति पर विचार।

समिति द्वारा प्रकीर्ण भुगतानों (Petty Payments) हेतु डिप्लोमा संकाय में नकद धनराशि आहरित किये जाने की सीमा रू. 15000/- ही रखने एवं डिग्री संकाय में छोटे-मोटे प्रकीर्ण भुगतानों हेतु संस्थान द्वारा नकद आहरण की सीमा रू. 15,000/- से बढाकर रू. 50,000/- किये जाने के प्रस्ताव पर समिति ने विचार-विमर्श में छात्रों के सेवायोजन हेतु आने वाले उनके प्रतिनिधियों के अतिथि सत्कार, औद्योगिक भ्रमण, प्रयोगशालाओं के आकस्मिक व्ययों, छात्रावास के आकस्मिक व्ययों और कार्यालय के दैनिक व्ययों आदि के वहन करने एवं तात्कालिक नकद भुगतान किये जाने के दृष्टिगत बैंक खाते से नकद आहरण की सीमा रू. 50,000/- (पचास हजार

मात्र) का आहरण किये जाने एवं प्रशासकीय परिषद से औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति की गयी।

2. संस्था के डिप्लोमा संकाय व डिग्री संकाय के विभाग प्रभारियों, छात्रावासों के अधीक्षकों को किसी भी राशि का स्थायी अग्रिम अनुमोदन दिये जाने के बिन्दु पर संस्तुति की गई कि उपरोक्त रू0 50,000 की सीमा तक निदेशक अपने स्तर से विभागीय प्रभारियों/छात्रावास अधीक्षकों को किसी भी धनराशि का स्थायी अग्रिम अनुमोदित कर सकता हैं। इस बिन्दु पर भी गवर्निंग बॉडी की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

34.06 **संस्थान के स्ववित्त पोषित डिग्री के बी0टेक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के शिक्षण शुल्क में वृद्धि किये जाने पर विचार।**

संस्थान के स्ववित्त पोषित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जा रहे वर्तमान शिक्षण शुल्क रू0 60,000/- मे वृद्धि किये जाने हेतु संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव रू0 75,000/- के स्थान पर सम्यक विचारोपरान्त आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 से केवल नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं से रू0 70,000/-शैक्षिक शुल्क लिये जाने एवं उसमें प्रति वर्ष रू 2000/- की वृद्धि किये जाने की प्रशासकीय परिषद को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति की गई। उदाहरणार्थ आगामी शैक्षिक सत्र वर्ष 2025-26 में प्रवेश लेने वाले नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं से आगामी 04 वर्षो तक शिक्षण शुल्क रू0 70,000/-ही लिया जाता रहेगा। इसी प्रकार शैक्षिक सत्र वर्ष 2026-27 से नव प्रवेशित छात्रों से रू0 72,000/- का शिक्षण शुल्क लिया जायेगा और आगामी 04 वर्षो तक यही शुल्क रू0 72,000/- लिया जायेगा। उपरोक्त की भॉति शैक्षिक सत्र 2027-28 से नव प्रवेशित छात्रों का शिक्षण शुल्क 74,000/- होगा, जिसे आगामी 04 वर्षो तक लिया जाता रहेगा। आगामी वर्षो हेतु डिग्री संकाय के पाठ्यक्रमों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त शिक्षण शुल्क में वृद्धि हेतु समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी। यह भी निर्देश दिये गये कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं के प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान शिक्षण शुल्क रू0 45000/- यथावत रखा जाय और उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जाय।

34.07 **महिला छात्रावास के शुल्क में वृद्धि किये जाने पर विचार।**

निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि डिग्री संकाय में दिव्यांग छात्राओं की संख्या में अत्यधिक कमी के दृष्टिगत समिति द्वारा महिला छात्रावास में दिव्यांग छात्राओं को डिप्लोमा संकाय के समान निःशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान किये जाने एवं सामान्य छात्राओं से छात्रावास का शुल्क रू0 15,000/- से बढ़ाकर रू0 20,000/- किये जाने की संस्तुति की गई।

34.08 संस्थान में स्ववित्त पोषित आधार पर बी०फार्मा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु शुल्क जमा करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

उपरोक्त प्रस्ताव प्रशासकीय परिषद द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित किया जा चुका है। अतः वित्त समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव रखे जाने कोई औचित्य नहीं पाया गया। अतः उक्त प्रस्ताव पर गवर्निंग बॉडी के अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

34.09 संस्थान के रिक्त आवासों में रहने वाले अतिथि व्याख्याताओं और आउट सोर्सिंग स्टाफ से किराये के रूप में ली जाने वाली दरों के सम्बन्ध में विचार किया जाना।

समिति द्वारा संस्थान के आवासों में आउट सोर्सिंग कार्मिकों से टाइप-1 के लिए नियत किराया रू. 1000/- और 10 प्रतिशत वाटर चार्जेज तथा अतिथि व्याख्याताओं से टाइप-2 के लिए नियत किराया रू. 2000/- तथा 10 प्रतिशत वाटर चार्जेज के साथ ही संस्थान द्वारा केस्को को भुगतान की जा रही दरों के वास्तविक आधार पर बिजली का मूल्य वसूल किये जाने की शर्त के साथ औपचारिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रशासकीय परिषद को संस्तुति की गई।

34.10 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1- डिप्लोमा संकाय में छात्रों की हो रही निरन्तर कमी के दृष्टिगत दिव्यांग छात्र/छात्राओं को फूड सब्सिडी के रूप में मिल रहे रू0 1000/- के स्थान पर रू0 2000/- किये जाने एवं प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

2- संस्थान की आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत समिति द्वारा डिप्लोमा संकाय में नियमित वेतनमान में कार्यरत व्याख्याताओं द्वारा प्रति वर्ष रू0 1.00 लाख (एक लाख) एवं डिग्री संकाय में नियमित वेतनमान में कार्यरत सहायक आचार्यों को प्रति वर्ष रू0 3.00 लाख (तीन लाख) तक शासकीय विभाग या अन्य संस्थाओं का कंसल्टेंसी कार्य कराते हुए संस्थान की आय में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(प्रो. रचना अस्थाना)
निदेशक/सदस्य सचिव
ए.आई.टी.डी., कानपुर

(नरेन्द्र भूषण)
अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग
एवं
अध्यक्ष,
वित्त समिति, ए.आई.टी.डी. कानपुर।